(a) The Oman Oil Company (OOC) took up the feasibility study for the Oman-India gas pipeline project but is yet to complete the study. A joint Working Group has been formed by GAIL and OOC to expedite the feasibility study. The feasibility study for the Iran-India pipeline project can be progressed after the consent of the Government of Pakistan is received for the pipeline route survey.

(b) Does not arise.

(c) the Pipavav Power Project can avail of alternative fuels such as coal, fuel oil and naphtha subject to the prevailing Government policy and techno-economic feasibility.

नीति खण्ड,सेक्टर-3, इन्दिरापुरम योजना में उपलब्ध सुविधाएं

*86.**श्री महेश्वर सिंह**: क्या प्रधान मंत्री 12 सितम्बर,1996 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 3943 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने इन्दिरा पुरम योजना के अन्तर्गत सभी सुविधाओं से युक्त पूर्णतया विकसित फ्लैटों का कब्जा आवंटियों को दे दिया है:

(ख) क्या नीति खण्ड,सेक्टर-3 में टाइम"ए" और "बी" के एच.आई.जी.डुपलेक्स फ्लैटों का कब्जा भी आवंटियों को दे दिया गया है; और

(ग) यदि हां,तो कब और ऐसी सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं,तो सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के पश्चात कब तक इनका कब्जा दिये जाने की संभावना है और इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा.यू.वेंकटेश्वरलु): (क) गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने बताया है कि इन्दिरापुरम योजना के तहत निम्नलिखित पाकेटों के रिहायशी मकानों,जिनमें सुविधाएं मुहैया करा दी गयी है,के आवंटियों को नियमानुसार कब्जा दिया जा रहा है:-

पाकेट स.	श्रेणी	मकानों की संख्या
शक्ति खण्ड-1-	एल आई जी	टाइप। -540
ग्यान खण्ड-4-	एचआई जी	टाइप॥ -744
	(एक मंजिला)	-30
	एम आई जी	
	(चार मंजिले)	-396

(ख)और(ग) नीति खण्ड-3 "ए" और "बी" टाइप के कुल 400 एच.आई.जी.डुप्लेक्स मकानों मे से 300 मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है । बकाया देय राशि का पूरा भुगतान करने जैसी शर्तो को पूरा करने के पश्चात आवंटियों द्वारा प्राधिकरण से अनुरोध करने पर जलापूर्ति,मलजल निकासी और विद्युत जैसी आवश्यक सेवा सुविधाओं सहित नियमानुसार इन मकानों का कब्जा दिया जा सकता है

टाइप "बी" के शेष 70 मकानों का निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा काम छोड़ देने तथा मामले पर पंच निर्णय होने तक रूका पड़ा है ।

अखिल भारतीय सेवाओं के लिए लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु अधिकतम अंकों के मध्य अनुपात

*88. **श्री गोविन्दराम मिरी**:
श्री शिव चरण सिंह:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा और सहबद्व सेवाओं इत्यादि सहित विभिन्न अखिल भारतीय सेवाओं में सीधी भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन सेवाओं में चयन के लिए लिखित परीक्षा एंव साक्षात्कार के लिए निर्धारित अधिकतम अंकों/ अधिमान के बीच कोई नियत अनुपात हैं; यदि हां,तो उसका ब्यौरा क्या है और उसका क्या औचित्य हैं;

(ग)क्या ये उच्चतम न्यायालय के इन निदेशों के अनुरूप है कि साक्षात्कार और लिखित परीक्षा हेतु कुल अंकों के मध्य अनुपात 1:7 होगा; और

(घ) यदि नहीं,तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक,लोक शिकायत और पंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री एस.आर.बालासुब्रहमण्यन): (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा और कतिपय संबद्व सेवाओं में भर्ती,भारत के राजपत्र में अधिसूचित नियमों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित सिविल सेवा-परीक्षा के माध्यम से की जाती है ।

(ख) सिविल सेवा-परीक्षा की वर्तमान योजना,कोठारी-समिति(1974-76) की सिफारिशों पर विचार करके 1976 में शुरू की गई थी । सिविल सेवा(मुख्य) परीक्षा की योजना में साक्षात्कार हेतु अधिकतम अंक 250 निर्धारित किए गए थे तथा उक्त परीक्षा के लिखित भाग के लिए अधिकतम अंक 1800 निर्धारित किए गए थे । प्रो.सतीश चन्द्र समिति द्वारा परीक्षा की उक्त योजना के संबंध में की गई समीक्षा के फलस्वरूप साक्षात्कार हेतु अधिकतम अंक बढ़ाकर 300 निर्धारित किए गए और उक्त परीक्षा के लिखित भाग के लिए अधिकतम अंक 2000 निर्धारित किए गए ।

(ग) जी,हां, । साक्षात्कार के अंकों(300 अंक) तथा अधिकतम अंको(2300 अंक) का अनुपात 13.4 प्रतिशत अर्थात् 1:7.67 है,जो निर्दिष्ट अनुपात की तुलना में ठीक बैठता है ।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मदेनज़र प्रश्न नहीं उठता ।

Security for the Investigating Authorities

•89. SHRI RAM GOPAL YADAV: SHRI ISH DUTT YADAV:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are considering to provide full security to the authorities investigating different scandals in the country, keeping in view the sensitive nature of their job and the risk involved to them and the members of their families; and

(b) if so, what decision Govemment have taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN): (a) and (b) Whenever such requests for security from the concerned authorities are received, the States and Union Territories are informed about the apprehensions regarding security of the concerned personnel and are requested to provide necessary security to them.

पंजाब और उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय सहायता

*90. **श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण**: क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान अब तक रोजगार के अवसरों में वृद्वि और गरीबी को दूर करने वाले कार्यक्रमों के अंतर्गत पंजाब और उत्तर प्रदेश को कुल कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ख) इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियों को ब्यौरा क्या हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ): (क) और (ख) राज्यों को विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए सामान्य केन्द्रीय सहायता मुहैया नहीं कराई जाती बल्कि उनके स्वयं के संसाधनों को बढाने के लिए ब्लाक अनुदान के रूप में दी जाती है । तब राज्य विभिन्न क्षेत्रकीय शीर्षो के अंतर्गत अपनी योजना निधियों का आवंटन करने हैं । साथ ही विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) भी मुहैया कराई जाती है । इसके अतिरिक्त वर्ष 1996-97 में बुनियादी न्यूनतम सेवाओं(बीएमएस) और गंदी बस्तियों के विकास के लिए भी राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई गई है । विशिष्ट क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के लिए राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता भी मुहैया कराई जाती है । वर्ष 1996-97 के दौरान पंजाब और उत्तर प्रदेश की मुहैया कराई गई कुल केन्द्रीय सहायता निम्नानुसार हैं :-